राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 25(जे)(1)(यूजीसी)लेखा / आकाशि / वेतन निर्धारण / 2018/3535 दिनांक 5.7.2019

समस्त प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान।

विषय : वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृति पश्चात वेतन नियतन में नियमानुसार संशोधन बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत यह ध्यान में आया है कि कुछ राजकीय महाविद्यालयों द्वारा उनके यहां कार्यरत प्राध्यापक, लाइब्रेरियन एवं पी.टी.आई. को छठे वेतनमान के अंतर्गत आयुक्तालय द्वारा वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृति पश्चात वेतन नियतन करते समय पे–बैण्ड 15600–39100 तथा ग्रेड पे 7000/– में वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत करने की दिनांक से उक्त ग्रेड पे की टेबल संख्या 2 लागू कर इसका न्यूनतम वेतन रू 25600/– स्वीकृत कर दिया है जो कि नियमानुसार देय नहीं है, क्योंकि इसमें पे–बैण्ड पूर्ववत ही रहा है।

वित्त(नियम अनुभाग) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 14(1) एफ डी (रूल्स)/2009 दिनांक 12.10.2009 के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार उक्त टेबल संख्या 2 केवल प्रारम्भिक वेतन नियतन के लिये ही है अर्थात् ऐसे कार्मिक जो दिनांक 01.01.2006 को विद्यमान वरिष्ठ वेतनमान 10000–325–15200 प्राप्त कर रहे थे, के लिए ही है।

उक्त प्रकरणों में वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के बिन्दु संख्या 19 के अनुसार टेबल संख्या 2 इन पर लागू नहीं होकर वरिष्ठ वेतनमान पे–बैण्ड 15600–39100 तथा ग्रेड पे 7000/– में वेतन निर्धारित करते समय विद्यमान वेतन में 03 प्रतिशत वेतन वृद्धि का लाभ जोडकर केवल ग्रेड पे का अन्तर ही दिया जाकर वेतन नियतन कराया जाना सुनिश्चित कराया जावे। जिन प्रकरणों में उक्तानुसार गलत वेतन नियतन कर दिया गया है उनको अविलम्ब संशोधित करावें तथा अधिक भुगतान की वसूली करते हुये सातवें वेतनमान में संशोधन कराने हेतु आयुक्तालय की लेखा शाखा को अविलम्ब भिजवावें।

(प्रदीप कुमार बोरड)
आयुक्त कॉलेज शिक्षा
एवं विशिष्ट शासन सचिव
उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 25(जे)(1)(यूजीसी)लेखा / आकाशि / वेतन निर्धारण / 2018 दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी./RVRES) आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
02. सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संशोधन की कार्यवाही अविलम्ब करावें।
03. वेबसाइट प्रभारी को विभाग की साइट पर अपलोड करने हेतु।

(एन.एल. शर्मा)
वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर